न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 139/2025

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत, जावाल जरिये सरपंच (प्रशासक)/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही
2. श्री मयंक भाई, श्रीपाल, श्रेणीक पुत्रगण चन्दुलाल जी जैन, निवासी– जावाल, तहसील व जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) श्री युगलकिशोर धाबाई, अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही

–: निर्णयः– दि ांक 24 फरवरी, 2026

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 12–3–2021 एवं अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 22 दिनांक 22–3–2021 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाये गये। प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये एवं न ही अप्रार्थीगण की ओर से कोई जबाव प्रस्तुत हुआ। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3) प्रकरण में आज दिनांक 24–2–2026 को प्रार्थी निगरानीकार की ओर से श्री युगलकिशोर धाबाई, अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की बहस सुनी गई। बहस के दौरान श्री युगलकिशोर धाबाई, अतिरिक्त विकास अधिकारी, पं0स0, सिरोही ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों व तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित हुए यह व्यक्त किया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच हेतु उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), ग्रामीण त्रिकास एवं पंचायती राज विभाग, जयुपर के पत्र कमांक एफ 139(48)/पट्टा जाच/सिरोही/विधी/पं.स./2022/807 दिनांक 24–6–2022 के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल के पट्टों की जांच के सम्बन्ध में प्रदत्त निर्देशों की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही के आदेश क्रमांक 559–65 दिनांक 23–07–2022 के द्वारा जांच कमेटी गठित की गई। जिसकी जांच रिपोर्ट में प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 12–3–2021 के द्वारा तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा बुक संख्या 529 से जारी पट्टा विलेख संख्या 22 दिनांक 22–3–2021 में अनियमितता बरती जाने के कारण उक्त निगरानी आवेदन प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। यह कि राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत पुराने गृहों का विनियमितीकरण करने का प्रावधान है जिसके अनुसार जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृहों पर कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराए जाने के इच्छुक है, वहां उन्हे दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती 70 वर्षों के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिए 200/– रूपये की राशि वसूल कर प्रारूप 23 (क) में पट्टा जारी किया जा सकता

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

है। इस नियम के अर्न्तगत ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा पत्रावली संख्या 206 दिनांक 22–01–2021 के तहत अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को पट्टा विलेख संख्या 22 दिनांक 22–3–2021 को जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में पुराने गृहों का विनियमितिकरण कर पट्टा जारी करने हेतु दिया हुआ है, जिस पर भूमि संबंधी विवरण दर्ज नही है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 के तहत स्थल निरीक्षण हेतु गठित कमेटी का कोई विवरण पत्रावली पर दर्ज नही है एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर सरपंच एवं किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर नही है। इस प्रकार, उक्त पट्टा विलेख जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 की पालना नही की गई है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 148 अनुसार यदि पंचायत अंतिम रूप से यह निश्चित करे कि भूमि विक्रय किया जाना है तो उपनियम (2) में अधिकथित रिति से प्रारूप 22 में एक नोटिस प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में, इसके प्रकाशन के सम्बन्ध में एक मास के भीतर–भीतर आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित करेगी, उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जायेगी तथा दुसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाए जाने के परिणामस्वरूप हस्ताक्षर करने के उपरान्त कार्यालय में लौटाई जायेगी, परन्तु उपरोक्त पत्रावली में उक्त नियम की पालना नही की गई है। उक्त जारी विक्रय विलेख की पत्रावली में आवेदन पत्र में आवेदन की तिथि व स्थान अंकित नही किया गया है। सम्पूर्ण पत्रावली में पिता का नाम धनराज जी जैन लिखा हुआ है, जबकि पट्टे में पिता का नाम चन्दूलाल जैन लिखा गया है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत की कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जाना था जो कि नही किया गया है। ग्राम पंचायत के बैठक रजिस्टर में दिनांक 12–3–2021 को बैठक किया जाना दर्शाया गया है, उस दिनांक पर उपरी लेखन किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा संधारित मिसल कार्यवाही विवरण के किसी भी टिप्पणी पर सरपंच के हस्ताक्षर नही है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर साक्षी के हस्ताक्षर नही है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न भूखण्ड़ की रंगीन फोटो के पृष्ठ पर फोटो चस्पा नही है। नजरी नक्शें पर आवेदक, गवाह, सरपंच, वार्डपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर नही है। उक्त भूमि नियमन/विक्रय के सम्बन्ध में दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती 70 वर्षों के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के रूप में कब्जे के कोई प्रमाण, पंचायत की पत्रावली में मौजूद नही है। जांच रिपोर्ट अनुसार आज्ञाओं की सूची पर सरपंच के हस्ताक्षरों का अभाव व वार्डपंचों की गठित कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर का अभाव, नक्शा फार्म पर प्रार्थी एवं सरपंच के हस्ताक्षर का अभाव है। इस प्रकार, उक्त पट्टा विलेख जारी करने की कार्यवाही दोषपूर्ण है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 12–3–2021 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष जारी पट्टा विलेख संख्या 22 दिनांक 22–3–2021 को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 12–3–2021 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा विलेख संख्या 22 दिनांक 22–3–2021 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगाः–

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल–

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 100/– रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरानसंनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 200/– रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप–खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप–खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जांच प्रतिवेदन (जो जिला जन अभियोग एवं सर्तकता समिति, सिरोही में दर्ज प्रकरण संख्या 32/2022 में शिकायत/परिवाद की जांच के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही के द्वारा गठित जांच दल द्वारा जांच कर प्रस्तुत किया गया है) के अवलोकन से एवं न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध संबंधित रेकर्ड व ग्राम पंचायत, जावाल की पत्रावली संख्या 206 मिसल दायर दिनांक 22–01–2021 व मिसल फैसला दिनांक 22–3–2021 की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में पुराने गृहों का विनियमितिकरण कर पट्टा जारी करने का अनुरोध किया है, जिसमें भूमि का नाप, क्षेत्रफल व चतुर्दशी अंकित नही है एवं आवेदन पत्र पर आवेदक मयंक के ही हस्ताक्षर है, श्रीपाल व श्रेणिक के हस्ताक्षर नही है तथा आवेदन की तिथि व स्थान भी अंकित नही है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 के तहत स्थल निरीक्षण हेतु गठित कमेटी द्वारा सम्पूर्ण बिन्दुओं पर निरीक्षण किया जाना था, लेकिन पंचायत की पत्रावली पर उपलब्ध मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर पंचायत द्वारा गठित कमेटी के किसी भी सदस्य वार्ड पंच के हस्ताक्षर नही है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि गठित मौका कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण नही किया गया है, जो नियम 146 का उल्लंघन है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में साक्षी के हस्ताक्षर किये हुये नही है। पटवारी रिपोर्ट के प्रपत्र पर पटवारी के हस्ताक्षर किये हुये नही है। नजरी नक्शें पर भी सचिव के हस्ताक्षर किये हुए नही है एवं प्रमाणितकर्ता सरपंच के हस्ताक्षर भी किये हुये नही है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 148 अनुसार यदि पंचायत यह निश्चित करे कि भूमि विक्रय किया जाना है तो उपनियम (2) में अधिकथित रिति से प्रारूप 22 में एक नोटिस प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में, इसके प्रकाशन के सम्बन्ध में एक मास के भीतर–2 आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित करेगी, उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जायेगी तथा दुसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाए जाने के परिणामस्वरूप हस्ताक्षर करने के उपरान्त कार्यालय में लौटाई जायेगी, परन्तु उक्त विक्रय विलेख के संबंध में पंचायत की पत्रावली में उपलब्ध आपत्ति आव्हान पत्र पर सरपंच के हस्ताक्षर किये हुये नही है एवं आपत्ति आव्हान पत्र किस स्थान पर कब व किसके द्वारा चस्पा किया गया है? की तामिली रिपोर्ट भी आपत्ति आव्हान पत्र पर अंकित नही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत, जावाल ने उक्त पट्टा विलेख जारी करने में आपत्ति आव्हान पत्र जारी नही किया गया है। इस प्रकार, ग्राम पंचायत जावाल द्वारा उक्त पट्टा विलेख जारी करने में नियम 148 की भी पालना नही की गई है। ग्राम पंचायत के बैठक रजिस्टर में दिनांक 12–3–2021 को बैठक किया जाना दर्शाया गया है, उस दिनांक में भी उपरी लेखन किया गया है।

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर *सिरोही* राजस्थान

उक्त भूमि नियमन व विक्रय के सम्बन्ध में दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती 70 वर्षों के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के रूप में कब्जे के कोई सबूत, ग्राम पंचायत, जावाल की मिसल में मौजूद नही है। ग्राम पंचायत, जावाल की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत की पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 2 (दो) मयंक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में पिता का नाम धनराज जी जैन व ग्राम पंचायत की पत्रावली एवं पट्टा जारी करने की सम्पूर्ण कार्यवाही में अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पिता का नाम धनराज जी जैन लिखा हुआ है, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को जारी उक्त पट्टा विलेख में अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पिता का नाम चन्दूलाल जी जैन लिखा हुआ है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा उक्त पट्टा विलेख जारी करने में अनियमितता बरती गई है। ऐसी स्थिति में, उक्त प्रश्नगत प्रस्ताव व पट्टा विलेख को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 12—3—2021 एवं ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) मयंक भाई, श्रीपाल, श्रेणीक पुत्रगण चन्दूलाल जी जैन, निवासी— जावाल के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 22 दिनांक 22—3—2021 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24 फरवरी, 2026 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही